मेन्स मास्टर

जल, विश्व शांति स्थापित करने का साधन

संदर्भ

• 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित **विश्व जल दिवस (22 मार्च)** मीठे पानी के महत्वपूर्ण महत्व की वार्षिक याद दिलाता है।

• प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट थीम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है; 2024 का थीम, **"शांति के लिए जल"**, इस बात पर जोर देता है कि पानी की कमी और कुप्रबंधन संघर्ष का स्रोत हो सकता है, जबकि जल संसाधनों पर सहयोग स्थिरता को बढ़ावा देता है।

पृष्ठभूमि

• पानी की कमी एक जटिल मुद्दा है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो निम्न कारणों से और भी बदतर हो जाते हैं:

◦ तेजी से बढ़ते शहरी विकास के कारण घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति पर दबाव पड़ रहा है।

◦ जलवायु परिवर्तन के कारण अप्रत्याशित वर्षा पैटर्न, सूखा और बाढ़ आ रही है।

◦ कृषि अपवाह, औद्योगिक अपशिष्ट और अनुपचारित सीवेज से पानी की गुणवत्ता में गिरावट के कारण प्रदूषण।

◦ बेकार प्रथाओं, खराब बुनियादी ढांचे और विभिन्न जल उपयोगकर्ताओं के बीच समन्वय की कमी के कारण कुप्रबंधन।

एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल

• जल की भूमिका बुनियादी अस्तित्व से कहीं आगे तक फैली हुई है:

◦ यह खाद्य उत्पादन की नींव है, जो वैश्विक कृषि प्रणालियों को संचालित करता है।

◦ स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के लिए स्वच्छ जल पर निर्भर करते हैं।

◦ जल तक पहुँच सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती है।

• जब पानी दुर्लभ या खराब हो जाता है, तो प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, जिससे संभावित रूप से सामाजिक अशांति और संघर्ष हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो पहले से ही अस्थिरता का सामना कर रहे हैं।

मुख्य चिंताएँ

• भूजल की कमी:

◦ भूजल का अत्यधिक पंपिंग, विशेष रूप से सिंचाई के लिए, प्राकृतिक पुनर्भरण से आगे निकल जाता है।

◦ भारत का कृषि हृदय क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा, आदि) विशेष रूप से असुरक्षित है, कुछ क्षेत्रों में गंभीर कमी दर का सामना करना पड़ रहा है।

• सतही जल निकायों का प्रदूषण:

◦ नदियाँ, झीलें और आर्द्रभूमि कृषि रसायनों, औद्योगिक अपशिष्टों और अनुपचारित सीवेज द्वारा संदूषण से ग्रस्त हैं, जो स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाते हैं।

• एकीकृत जल प्रबंधन रणनीतियों का अभाव:

◦ घरों, कृषि और उद्योग से पानी की प्रतिस्पर्धी माँगों के साथ खंडित दृष्टिकोण, अकुशल उपयोग और संघर्षों को जन्म देते हैं।

• वर्षा आधारित कृषि पर अत्यधिक निर्भरता:

◦ भारत के खाद्य उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्षा पर निर्भर करता है, जिससे यह सूखे और जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।

सर्वोत्तम अभ्यास

• वर्षा जल संचयन:

◦ **इन-सीटू तकनीकें** (जैसे, कंटूर ट्रेंचिंग) वर्षा जल को जहाँ भी गिरती है, वहाँ इकट्ठा करती हैं, जिससे मिट्टी की नमी और भूजल पुनर्भरण बढ़ता है।

◦ **एक्स-सीटू विधियाँ** (जैसे, छत पर कटाई, बाँध) बाद में उपयोग के लिए वर्षा जल को संग्रहित करती हैं।

• सतही और भूजल का संयुक्त उपयोग:

◦ उपलब्धता को अनुकूलित करने और किसी भी एक संसाधन पर दबाव को कम करने के लिए भूजल के साथ सतही जल स्रोतों (नदियाँ, झीलें) का प्रबंधन करना।

• सुरक्षित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग:

◦ अपशिष्ट जल को उचित मानकों के अनुसार उपचारित करने से यह सिंचाई या औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे गैर-पेय प्रयोजनों के लिए उपलब्ध हो जाता है, जिससे मीठे पानी की मांग कम हो जाती है।

• सरकारी पहल:

◦ PMKSY जल दक्षता के लिए सूक्ष्म सिंचाई पर जोर देती है।

◦ जल शक्ति अभियान जल संरक्षण, पुनर्भरण संरचनाओं और पारंपरिक जल निकाय बहाली को बढ़ावा देता है।

आगे की राह

• भूजल उपयोग की निगरानी और विनियमन:

◦ भूजल स्तर को मापना, निष्कर्षण दरों पर नज़र रखना और अति-दोहन को रोकने के लिए नियमों को लागू करना।

• जल गुणवत्ता में सुधार:

◦ सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय, अपशिष्ट जल उपचार में निवेश और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।

• जल मूल्य निर्धारण:

◦ संरक्षण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन बनाना और बेकार उपयोग को हतोत्साहित करना।

• परिपत्र जल अर्थव्यवस्था:

◦ जल की बर्बादी को कम करने, पुनः उपयोग को अधिकतम करने और पानी को डिस्पोजेबल वस्तु के बजाय एक मूल्यवान संसाधन के रूप में व्यवहार करने पर ध्यान केंद्रित करना।

• सटीक सिंचाई:

◦ ड्रिप सिंचाई, सटीक जल वितरण के लिए सेंसर-आधारित प्रणाली।

• एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम):

◦ मानवीय आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य दोनों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न क्षेत्रों में जल आवंटन और उपयोग का समन्वय करने वाला समग्र दृष्टिकोण।

• सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी:

◦ निर्णय लेने के लिए सार्वजनिक शिक्षा, स्थानीय जल प्रबंधन निकाय।

• जलवायु-लचीली कृषि:

◦ सूखा-सहिष्णु फसलें, नमी के लिए मृदा प्रबंधन।

• सहयोग:

◦ वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और उद्योग के बीच साझेदारी, जो टिकाऊ जल प्रबंधन के लिए अभिनव समाधान विकसित करती है।

क्या न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद आधिकारिक पद स्वीकार करना चाहिए?

संदर्भ

• हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने से न्यायिक नैतिकता और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को आधिकारिक पदों पर नियुक्त करने की प्रथा पर सवाल उठते हैं।

पृष्ठभूमि

• कोई भी संवैधानिक कानून स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद आधिकारिक पद स्वीकार करने से नहीं रोकता है।

• हालांकि, यह मुद्दा संभावित हितों के टकराव और न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में जनता की धारणा के बारे में चिंताएं पैदा करता है।

• क्या न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद आधिकारिक पद स्वीकार करना चाहिए?

• हाँ

• विशेषज्ञता:

◦ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पास कानूनों की व्याख्या करने, जटिल मामलों का फैसला करने और कानूनी सिद्धांतों को समझने का दशकों का अनुभव होता है।

◦ यह विशेषज्ञता आयोगों, न्यायाधिकरणों या सलाहकार निकायों का नेतृत्व करने जैसी भूमिकाओं में अमूल्य हो सकती है, जहां जटिल कानूनी मामले शामिल होते हैं।

◦ उदाहरण: एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एक प्रमुख मानवाधिकार मुद्दे की जांच करने वाले आयोग का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

• **कोई संवैधानिक बाधा नहीं:**
  ◦ चूंकि कोई स्पष्ट संवैधानिक निषेध नहीं है, इसलिए सरकार के पास उपयुक्त पदों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के इस मूल्यवान पूल का उपयोग करने की लचीलापन है।
  ◦ यह सरकार को कानूनी बाधाओं के बिना राज्य की भलाई के लिए अनुभवी कानूनी दिमागों का उपयोग करने की अनुमति देता है।

नहीं

• **सार्वजनिक धारणा:**
  ◦ यदि न्यायाधीश नियमित रूप से सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी नियुक्तियों को स्वीकार करते हैं, तो यह संदेह पैदा कर सकता है कि बेंच पर रहते हुए उनके फैसले भविष्य के पुरस्कारों की उम्मीद से प्रभावित हो सकते हैं।
  ◦ इससे न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास खत्म हो जाता है, भले ही न्यायाधीश पूरी ईमानदारी से काम करें।
  ◦ उदाहरण: सरकार के खिलाफ जाने वाला एक ऐतिहासिक फैसला कम विश्वसनीय माना जा सकता है यदि न्यायाधीश बाद में उसी सरकार के साथ एक पद स्वीकार करता है।

• **स्वतंत्रता को कमजोर करता है:**
  ◦ न्यायिक स्वतंत्रता का मूल न्यायाधीशों को बाहरी प्रभाव या दबाव से मुक्त होना है।
  ◦ जब कोई न्यायाधीश जानता है कि सेवानिवृत्ति के बाद के अवसर सरकारी पक्ष पर निर्भर करते हैं, तो यह अवचेतन पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है जो निर्णयों को प्रभावित करता है, भले ही अनजाने में ही क्यों न हो।

सर्वोत्तम अभ्यास

• **न्यायिक आचार संहिता:**
  ◦ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित एक अच्छी तरह से परिभाषित संहिता न्यायाधीशों के व्यवहार के लिए स्पष्टता और मानक निर्धारित करेगी, भले ही वह पद छोड़ने के बाद भी हो।
  ◦ इसमें आधिकारिक पद स्वीकार करने से पहले प्रतीक्षा अवधि, राजनीतिक रूप से आरोपित नियुक्तियों पर प्रतिबंध आदि के बारे में दिशानिर्देश शामिल हो सकते हैं।

• **वैकल्पिक कैरियर पथों पर ध्यान केंद्रित करें:**
  ◦ मध्यस्थता, मध्यस्थता, कानूनी परामर्श और कानूनी शिक्षा जैसे विकल्पों का सक्रिय प्रचार सेवानिवृत्ति के बाद के कैरियर पथों को संतुष्ट करेगा।
  ◦ इससे न्यायाधीशों की सरकारी प्रस्तावों पर निर्भरता कम हो जाती है और उनकी कथित स्वतंत्रता मजबूत होती है।

आगे का रास्ता

• **न्यायिक नेतृत्व वाला सुधार:** न्यायपालिका को जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए स्व-विनियमन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार से इस क्षेत्र में अपनी शक्ति को सीमित करने की उम्मीद करना अवास्तविक है।

• **संभावित समाधान:**
  ◦ **कूलिंग-ऑफ अवधि:** सेवानिवृत्ति और आधिकारिक पद स्वीकार करने के बीच प्रतीक्षा (जैसे, 2-3 वर्ष) अनिवार्य करने से न्यायाधीश के निर्णयों और संभावित लाभों के बीच दूरी पैदा होगी।
  ◦ **आयु वृद्धि:** सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद भूमिकाएँ खोजने की ज़रूरत कम हो जाती है और बाद में पुरस्कार की उम्मीद में निर्णय लेने की प्रवृत्ति कम हो जाती है।
  ◦ **न्यायाधिकरण सेवा:** न्यायाधिकरणों के लिए विशिष्ट, आत्मनिर्भर कैरियर पथ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भर्ती की आवश्यकता को कम कर देंगे, जिससे इन निकायों की स्वतंत्रता बढ़ेगी।

परमाणु ऊर्जा: वित्तीय स्थिति को दुरुस्त करना

संदर्भ

• जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता एक विश्वसनीय, कम कार्बन ऊर्जा स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा में नए सिरे से रुचि पैदा कर रही है।
• ब्रुसेल्स में हाल ही में हुए परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, साथ ही यूएई के COP28 घोषणापत्र ने डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने में परमाणु ऊर्जा के महत्व को उजागर किया है।
•

पृष्ठभूमि

* परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है: कम उत्सर्जन, निरंतर संचालन, छोटी भूमि पदचिह्न, और लंबी उम्र।
* हाल ही में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) सहित तकनीकी नवाचार, आगे की सुरक्षा और दक्षता में सुधार प्रदान करते हैं।

परमाणु ऊर्जा वित्त के साथ मुद्दे

* लाभों के बावजूद, परमाणु ऊर्जा वित्तपोषण में बड़ी बाधाएँ हैं:
  ◦ कलंक और कथित जोखिम निजी निवेशकों को रोकते हैं।
  ◦ विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) पारंपरिक रूप से परमाणु परियोजनाओं को वित्तपोषित करने से बचते रहे हैं।
  ◦ उच्च अग्रिम लागत और पिछली परियोजना विफलताएँ (जैसे, वेस्टिंगहाउस, अरेवा) और भी अनिच्छा पैदा करती हैं।

परमाणु ऊर्जा वित्त का महत्व

* परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, नवीन वित्तपोषण मॉडल महत्वपूर्ण हैं।
• केवल तकनीक ही पर्याप्त नहीं है; उचित वित्तपोषण के बिना, परमाणु ऊर्जा की क्षमता का दोहन नहीं किया जा सकता।

विश्व नेता क्या कर रहे हैं

• परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन और COP28 घोषणापत्र धारणा में बदलाव और परमाणु क्षमता में वृद्धि के आह्वान का संकेत देते हैं।
• विशेष रूप से एशिया में निर्माणाधीन रिएक्टरों की संख्या में वृद्धि (चीन अग्रणी होने के लिए तैयार है)।

संभावित समाधान

• एमडीबी नीति सुधार: निजी निवेश और मिश्रित वित्त मॉडल को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तपोषण नीतियों का पुनर्मूल्यांकन।
• वित्तीय सहयोग: फिनलैंड में उपयोग किए जाने वाले 'मनकला' सहकारी जैसे सफल वित्तपोषण मॉडल की नकल करना।
• बाजार समर्थन: निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कम ब्याज वाले ऋण और प्रोत्साहन प्रदान करना।

आगे की राह

• परमाणु ऊर्जा सुरक्षा के बारे में कहानी बदलना और स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण में इसकी भूमिका पर जोर देना।
• निजी निवेशकों के लिए आकर्षक परिस्थितियाँ बनाने के लिए सक्रिय सरकारी समर्थन।
• संधारणीय वित्तपोषण समाधान विकसित करने के लिए सरकारों, एमडीबी और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग।

भारत की स्थिति

• लागत लाभ (जैसे, तारापुर, कुडनकुलम संयंत्र) के बावजूद भारत के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की कम हिस्सेदारी।
• हाल ही में उदारीकरण और महत्वाकांक्षी विकास योजनाएं भारत के परमाणु उद्योग के लिए सकारात्मक प्रक्षेपवक्र का संकेत देती हैं।

प्रीलिम्स बूस्टर

एल नीनो और जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक समुद्र स्तर में उछाल: नासा

- 🌊 वैश्विक औसत समुद्र स्तर में 2022 से 2023 तक लगभग 0.3 इंच (0.76 सेमी) की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो कि एक मजबूत एल नीनो घटना और गर्म जलवायु के चल रहे प्रभाव के संयुक्त प्रभावों के कारण हुई एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जैसा कि नासा द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
- 📈 पिछले तीन दशकों में, 1993 से समुद्र का स्तर लगभग चार इंच बढ़ गया है, जिसमें वृद्धि की दर में उल्लेखनीय तेजी देखी गई है। यह दर 1993 में 0.07 इंच प्रति वर्ष से दोगुनी से अधिक बढ़कर वर्तमान दर 0.17 इंच प्रति वर्ष हो गई है, जो समुद्र के बढ़ते स्तर की चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- 🌍 अनुमान बताते हैं कि यदि त्वरण की वर्तमान दरें जारी रहती हैं, तो 2050 तक वैश्विक औसत समुद्र स्तर में 20 सेमी की अतिरिक्त वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। परिवर्तन की यह दर पिछली शताब्दी की तुलना में दोगुनी होगी, जो संभावित रूप से एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाएगी जहां बाढ़ की घटनाएं आज की तुलना में अधिक लगातार और विनाशकारी होंगी।
- 🍾 जबकि समुद्र के स्तर में हालिया वृद्धि का तात्कालिक कारण एल नीनो मौसम प्रभाव को माना जाता है, जो भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में गर्म महासागर के तापमान की विशेषता है, त्वरण की अंतर्निहित प्रवृत्ति में स्पष्ट मानवीय प्रभाव भी दिखाई देता है, जो वैश्विक स्तर पर बढ़ते समुद्र के स्तर पर प्राकृतिक जलवायु घटनाओं और मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन दोनों के प्रभाव पर जोर देता है।

अरब लीग ने भारत की फिलिस्तीन नीति की सराहना की

- 🇮🇳 अरब लीग ने फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए भारत के अटूट समर्थन की सराहना की, भारत की मानवीय सहायता और इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के लिए "दो-राज्य समाधान" के समर्थन को गहरी सहानुभूति और पीड़ा को कम करने की प्रतिबद्धता के प्रदर्शन के रूप में उजागर किया।
- 🌍 राजदूत यूसुफ मोहम्मद अब्दुल्ला जमील ने फिलिस्तीन के साथ भारत के सैद्धांतिक रुख और एकजुटता की प्रशंसा की, फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान और मानवीय सहायता के प्रावधान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आशा और समर्थन की किरण के रूप में भारत की भूमिका पर जोर दिया।
- 🤝 फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति भारत के समर्पण और दो-राज्य समाधान की वकालत को अरब लीग द्वारा मान्यता दी गई है, जो इस क्षेत्र में संघर्ष से प्रभावित लोगों की मानवीय जरूरतों को पूरा करने और शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

- 🌍 22 मार्च, 1945 को काहिरा, मिस्र में स्थापित अरब लीग, एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के अरबी भाषी देश शामिल हैं, जिसमें संस्थापक सदस्यों मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन सहित 22 सदस्य देश हैं।

- 🤝 शुरुआत में अरब एकता, सहयोग और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने पर केंद्रित, लीग सदस्य देशों के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर सहयोग करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है, नीति समन्वय, संघर्ष समाधान और क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है।

- 🕊️ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में बढ़ते राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद के दौर में स्थापित, लीग ने ऐतिहासिक रूप से एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को प्राथमिकता दी, जो समय के साथ आर्थिक एकीकरण, संघर्ष समाधान और वैश्विक स्तर पर अरब हितों की वकालत जैसे व्यापक लक्ष्यों को शामिल करने के लिए विकसित हुई।

सोमाली समुद्री डाकुओं की वापसी से वैश्विक शिपिंग कंपनियों के लिए संकट और बढ़ गया है

- 🚢 पश्चिमी हिंद महासागर में सोमाली समुद्री डाकुओं के फिर से उभरने से वैश्विक शिपिंग कंपनियों की चिंताएँ फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि हाल ही में की गई छापेमारी के कारण समुद्री परिचालन से जुड़े जोखिम और लागत में वृद्धि हुई है। लगभग एक दशक से अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहे समुद्री डाकू, जहाजों को निशाना बनाने के लिए फिर से उभर आए हैं, जिससे शिपिंग उद्योग के लिए बड़ी चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं।

- 🛥️ क्षेत्र में हौथी हमलों से पैदा हुए सुरक्षा शून्य ने सोमाली समुद्री डाकुओं को स्थिति का फ़ायदा उठाने और अपहरण करने का अवसर प्रदान किया है, जिससे समुद्री डकैती की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इस पुनरुत्थान ने न केवल सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ाया है, बल्कि बीमा प्रीमियम में भी वृद्धि हुई है और जहाजों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

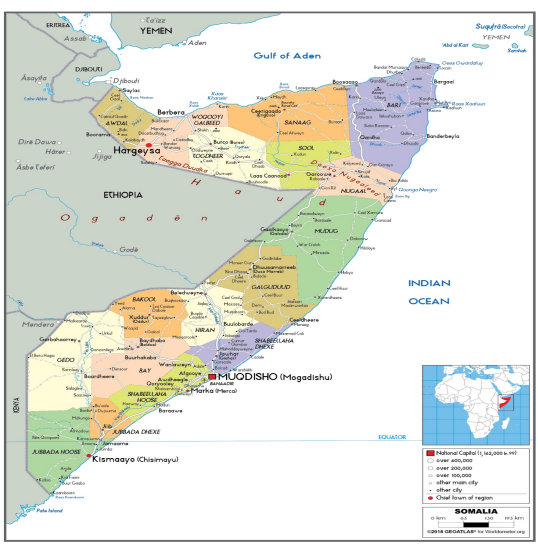

- 💰 बढ़ती समुद्री डकैती की घटनाओं ने सशस्त्र सुरक्षा गार्डों और बीमा कवरेज की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे शिपिंग कंपनियों की परिचालन लागत प्रभावित हुई है। बढ़ते खर्चों के साथ-साथ फिरौती के लिए बातचीत की संभावना ने समुद्री परिचालनों पर वित्तीय बोझ और जटिलताएं बढ़ा दी हैं, जिससे उद्योग के प्रतिनिधियों को इस क्षेत्र में उभर रहे सुरक्षा खतरों को सक्रिय रूप से संबोधित करने के महत्व पर जोर देना पड़ रहा है।

- 🌐 उभरती स्थिति समुद्री डकैती से उत्पन्न जोखिमों को कम करने और पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं, उद्योग हितधारकों और क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सोमाली समुद्री डाकुओं का पुनरुत्थान शिपिंग उद्योग के सामने लगातार चुनौतियों और समुद्री डकैती से निपटने और वैश्विक शिपिंग मार्गों की सुरक्षा के लिए प्रभावी रणनीतियों को लागू करने की अनिवार्यता की एक कड़ी याद दिलाता है।

पर्यावरण मंत्रालय ने बायोप्लास्टिक पर नियम कड़े किए

- 🌿 भारत में पर्यावरण मंत्रालय ने बायोप्लास्टिक पर सख्त नियम लागू किए हैं, जिसके तहत 'बायोडिग्रेडेबल' लेबल वाले डिस्पोजेबल प्लास्टिक उत्पादों को किसी भी माइक्रोप्लास्टिक को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करना और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना है।
- 🔄 बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बेचे जाने से पहले उपचार से गुजरना पड़ता है, जबकि कम्पोस्टेबल प्लास्टिक विघटित हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर विघटन के लिए औद्योगिक या बड़े नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जो प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए दो अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।
- 📝 भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में हाल ही में किए गए संशोधन इस बात पर जोर देते हैं कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बिना किसी माइक्रोप्लास्टिक को पीछे छोड़े जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित किया जाना चाहिए, हालांकि नियम माइक्रोप्लास्टिक उन्मूलन के लिए विशिष्ट परीक्षण या सीमा को निर्दिष्ट नहीं करते हैं, जिससे प्लास्टिक उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति का आकलन करने के लिए व्यापक मानक स्थापित करने पर चर्चा हुई।
- 🌊 माइक्रोप्लास्टिक नदियों और महासागरों जैसे जल निकायों को प्रभावित करने वाले प्रदूषण के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरे हैं, जो पर्यावरणीय नुकसान को कम करने और भारत में टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक सामग्री को विनियमित करने के महत्व को रेखांकित करते हैं।
- 💡 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल के रूप में प्रमाणित करने के लिए कड़े मानदंड, जिसमें कम से कम दो वर्षों तक 90% विघटन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, ने अनुमोदन चाहने वाली कंपनियों के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में बायोडिग्रेडेबल और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों और मानकीकृत परीक्षण विधियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

बस्टर्ड आवास में बिजली लाइनों को बदलने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए पैनल गठित

- 🪶 सर्वोच्च न्यायालय ने लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी आबादी के संरक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की है, जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करते हुए, विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में अपने मुख्य आवासों में पक्षियों के साथ टकराव का कारण बनने वाले उच्च शक्ति वाले बिजली के तारों से उत्पन्न खतरे को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। - 🌿 वन्यजीव और वन संरक्षण विशेषज्ञों, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रालयों के अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के प्रतिनिधियों वाली समिति, राजस्थान और गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बिजली लाइनों को बदलने की व्यवहार्यता और प्रभाव का आकलन करेगी ताकि सतत विकास और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जा सके। - 🔌 पैनल के कार्यक्षेत्र में भूमिगत और ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइनों की क्षमता का मूल्यांकन करना, वैकल्पिक समाधान तलाशना और पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपायों की सिफारिश करना शामिल है, जिसमें 31 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने की समय सीमा है, जिसका उद्देश्य बिजली लाइन टकराव के कारण पक्षियों की मृत्यु के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करना और संरक्षण प्रयासों को आगे बढ़ाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य जांच इकाई स्थापित करने संबंधी सरकारी अधिसूचना पर रोक लगाई

- 📰 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की गतिविधियों से संबंधित फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं से निपटने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो की तथ्य जांच इकाई (पीआईबी एफसीयू) की स्थापना करने वाली सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है, जो सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3(1)(बी)(वी) की वैधता पर बॉम्बे हाईकोर्ट के तीसरे न्यायाधीश द्वारा निर्णय आने तक लंबित है।
- 🔴 एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में स्थगन आदेश, 20 मार्च की अधिसूचना के कार्यान्वयन को तब तक के लिए निलंबित कर देता है जब तक कि हाईकोर्ट उस प्रावधान के आसपास के कानूनी मुद्दों को हल नहीं कर लेता जिसके तहत अधिसूचना जारी की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने नियम 3(1)(बी)(वी) के मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकारों पर प्रभाव पर निर्णय को उच्च न्यायालय के विश्लेषण के लिए टाल दिया।
- याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं में यह आशंका शामिल है कि एफसीयू की स्थापना से सोशल मीडिया बिचौलियों द्वारा स्व-सेंसरशिप हो सकती है, संभावित रूप से मुक्त भाषण को सीमित किया जा सकता है, और एक ऐसा परिदृश्य बनाया जा सकता है जहां सरकार के पास सूचना की सत्यता का निर्धारण करने का नियंत्रण होता है, जिससे व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हुए और ऑनलाइन सामग्री प्रसार पर अनुचित प्रभाव को रोकते हुए गलत सूचना से निपटने के लिए संतुलित विनियमन की आवश्यकता पर बहस होती है।

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org